फर्द अहकाम

...ज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मुकाम बायतु

...राम बनाम नरेश कुमार वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 188/18

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
06.07.18	प्रार्थी की ओर से वकील श्री प्रेमराज पंवार द्वारा यह आवेदन अन्तर्गत राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 12 की पैतृक खातेदारी व क़ब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा पुराना गांव बायतु पनजी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के ख़सरा नम्बर 959 रकबा 178.07 बीघा में आई हुई है। वर्तमान में विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में दखलअन्दाजी, बाधा, हस्तक्षेप करने व माठे तोड़ने व मौके से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 20.8.18 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा पुराना गांव बायतु पनजी पटवार मण्डल बायतु पनजी तहसील बायतु के खसरा नम्बर 959 रकबा 178.07 बीघा भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा न स्वयं कारित करें, न ही किसी अन्य से करावें तथा न ही प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करें व न ही भूमि का बैचान करें तथा न ही मौके पर बनी पुरानी माठों को तोड़ने का प्रयास करें। मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 20.8.18 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:31:11 IST
Reason: SelfAttested

20/08/18 अधिवक्तागण हड़ताल में चल रहे हैं। विपक्षीगणों के नोटिस तामील किस्म तामील अप्राप्त/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाढ़ ड्यूटी/ [illegible] कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/11/18 को पेश हो/ तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। [signature]

06/11/18 प्रार्थी वकील उपस्थित/ विपक्षीगणों के नोटिस तामील किस्म तामील अप्राप्त/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 17/12/18 को पेश हो/ तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा/ [signature]

17/12/18 प्रार्थी वकील उपस्थित/ विपक्षीगणों के नोटिस तामील किस्म तामील अप्राप्त/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं/ अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/02/19 को पेश हो/ तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा/ [signature]

21.7.2020 पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। मूलवाद 96/2018 वादी- अधिवक्ता के Not Press के बाद खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
संयुक्त कलेक्टर (SDO)
21.7.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 13:31:11 IST
Reason: SelfAttested